6. मूल अधिकार

- **मूल अधिकार वे प्राकृतिक अधिकार हैं जो मानव को अपनी क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम दशाओं एवं दिशाओं को उपलब्ध कराते हैं; जिससे कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके।**
- **मूल अधिकार तथा सामान्य अधिकार में अन्तर :**
- मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते है।
- अधिकार देश के सामान्य विधि द्वारा संरक्षित होते है, जबकि मूल अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित होते है।
- मूल अधिकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों के अधि कार सीमित करता है, जबकि अधिकार केवल कार्यपालिका के कार्य को सीमित करता है।
- संविधान में मूलअधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
- सामान्य अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है तथा कुछ मामलों में राज्य के विरुद्ध। मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। यहां राज्य के विरुद्ध से तात्पर्य है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिससे मूल अधिकार का हनन हो।
- सभी सांविधानिक अधिकार मूलअधिकार नही होते, जबकि सभी मूल अधिकार सांविधानिक अधिकार होते है।

भारत में मूल अधिकार का इतिहास

भारत में मूल अधिकार के मांग का दर्शन नेहरु प्रतिवेदन (1928) में स्पष्ट रूप से होता है। यद्यपि इसके पहले भी मांग की गई थी लेकिन साइमन कमीशन और संयुक्त संसदीय समिति ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि अर्मूत घोषणायें व्यर्थ होती है। ब्रिटिश सलाह की ओर ध्यान न देते हुए संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक सदस्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए मूल अधिकार अंगीकार किए।

मूल अधिकारों की विशेषताएं

- सशस्त बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से सम्बन्धित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है।
- ये असीमित नहीं है राज्य उन पर जरुरी प्रतिबंध लगा सकता है।
- ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किये बिना।
- मूलअधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
- राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूलअधिकार निलम्बित किया जा सकता है।
- कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है जबकि कुछ नागरिकों और विदेशी लोगों दोनों को प्राप्त है।

मूल अधिकार के संशोधन संबंधी विवाद

- 1973 में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकार वाले भाग में संशोधन करने में उतनी ही सक्षम है जितनी संविधान के अन्य भाग का। लेकिन संसद संविधान की आधारिक संरचना को न तो संक्षिप्त कर सकती है न ही समाप्त कर सकती है।
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान (1965) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर अटल रहा।
- मूल अधिकार में संशोधन को लेकर पहला प्रश्न शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) मामले में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि मूल अधिकार, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है।
- गोलकनाथ निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन द्वारा घोषणा की गई कि अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत विधि नहीं होगा।
- 1967 में न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया तथा बहुमत से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद या किसी प्राधिकारी को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को न्यून करे या छीन सके।

वर्तमान स्थिति

- नवीं अनुसूची में किसी अधिनियम के सम्मिलित किये जाने पर भी उस पर इस आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है कि वह आधारिक संरचना का विनाश करता है।
- प्रत्येक मामले में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल

अधिकार के संशोधन से संविधान के किसी आधारिक लक्षण का विनाश हो रहा है। यदि विनाश हो रहा है तो विनाश की मात्रा तक संशोधन शून्य होगा।

- मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है।
- आधारिक लक्षणों के आधार पर उन्हीं अधिनियमों को अविधिमान्य किया जा सकेगा जो 24-4-1973 के पश्चात् पारित किये गए है।

नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार

- **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद 16:** लोकनियोजन के विषय में अवसर की समता।
- **अनुच्छेद 19:** वाक् स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृति की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 29-30:** अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबधी अधिकार।

सभी व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकार

- यह ध्यान देने की बात है कि यह विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता।
- **अनुच्छेद 20:** अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- **अनुच्छेद 21:** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- **अनुच्छेद 21क:** शिक्षा का अधिकार।
- **अनुच्छेद 23-24:** शोषण के विरुद्ध अधिकार।
- **अनुच्छेद 25, 26, 27, 28:** धर्म की स्वतंत्रता।

मूल अधिकार एक नजर में

	श्रेणी		निहित है
1.	समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)	(a)	विधि के समक्ष समानता एवं समान सुरक्षा (अनुच्छेद 14)।
		(b)	धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
		(c)	सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर (अनुच्छेद 16)।
		(d)	अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)।
		(e)	सैन्य एवं शैक्षिक पदों के अतिरिक्त उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)।
2.	स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)	(a)	छह अधिकारों की सुरक्षा (I) विचार एवं अभिव्यक्ति (II) संगठन, (III) समिति, (IV) आंदोलन, (V) निवास, (VI) उद्यम (अनुच्छेद 19)।
		(b)	आपराधिक आरोप के मामले में सुरक्षा (अनुच्छेद 20)
		(c)	प्राण एवं दैहिक का अधिकार (अनुच्छेद 21)।
		(d)	प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क)।
		(e)	किसी मामले में हिरासत एवं गिरफ्तारी से सुरक्षा (अनुच्छेद 22)।
3.	शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)	(a)	बलात श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 21)।
		(b)	बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।
4.	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)	(a)	अंत: करण के विचारों एवं धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
		(b)	धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।

		(c)	किसी धर्म की उन्नति के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।
		(d)	कुछ धार्मिक संस्थाओं में पूजा या धार्मिक निर्देशों में उपस्थिति का अधिकार (अनुच्छेद 28)।
5.	सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार	(a)	भाषा,लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29-30 (अनुच्छेद 29)।
		(b)	अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्थाओं और प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार (अनुच्छेद 32) मूल अधिकारों की शक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल याचिकाएं है। (I) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (II) परमादेश, (III) प्रत्यादेश, (IV) उत्प्रेषण, (V) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32)

समानता का अधिकार

विधि के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा : अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य को पूरे भारत संघ में किसी व्यक्ति की समानता नकारनी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। 'कानून के समक्ष समानता' का विचार ब्रिटिश मूल का है। जबकि 'कानून की समान सुरक्षा' को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है- (अ) किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष सुविधा की कमी। (ब) साधारण कानून या साधारण कानून न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विषय। (स) कोई व्यक्ति (अमीर-गरीब, ऊंचा-नीचा, अधिकारी-गैर-अधिकारी) कानून के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित है-(अ) समान पस्थितियों में समान व्यवहार (ब) समान कानून के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं, और (स) बिना भेदभाव के वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य कानून, अवसर और न्याय की समानता है।

ब्रिटिश न्यायवादी ए.वी. डिसे का मानना है कि 'कानून के समक्ष समानता' का विचार 'कानून का नियम' के दूसरे तत्व के समान है। ब्रिटेन की तरह भारत में भी समानता का नियम ही अनन्य नहीं है, वरन् इसके बहुत से विकल्प हैं।

कुछ मुद्दों पर विभेद का प्रतिषेध : अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर मतभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है- 'मतभेद' और 'सिर्फ'। 'मतभेद' का अभिप्राय किसी के खिलाफ विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। 'सिर्फ' शब्द का मतलब है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है।

अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर अयोग्य या प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतभेद न किए जाने के सामान्य नियम में दो छूट शामिल हैं: (अ) राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, (ब) इसी तरह राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष व्यवस्था करे।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता : अनुच्छेद 16 में रोजगार के मामले या राज्य सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए समान अवसर की व्यवस्था की गई है। किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता के साधारण नियम पर तीन छूट हैं-

- संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार (जिसमें निवास की जरूरत हो) अधिनियम 1957 कुछ साल बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्रप्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
- राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
- कानून के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है।

- **मंडल आयोग और उसके परिणाम:** वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थीं। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का) 50 प्रतिशत हो गया।

अस्पृश्यता का अंत : अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसके प्रयोग पर रोक लगाता है, 1976 में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम 'नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955' दिया गया। 'छुआछूत' शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया।

यह अधिनियम अपराध के तहत निम्नलिखित घोषणा करता है-

- किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना।
- किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के प्रयोग को प्रतिबंधित करना।
- अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में प्रवेश से रोकना।

उपाधियों का अंत : अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है और इस संबंध में चार व्यवस्थाएं बनाता है-

- यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी; राज्य के तहत कोई उपाधि (सैन्य या शैक्षणिक छोड़कर) नहीं लेगा।
- यह भारत के हर नागरिक को विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है।
- कोई भी विदेशी लाभ के किसी पद का उपभोग करते हुए बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य से कोई भी पदवी नहीं ले सकता।
- राज्य के तहत किसी लाभ के पद पर आसीन कोई नागरिक या विदेशी कोई अन्य देश से सुविधाएं, वेतन भत्ते तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति की मंजूरी न हो।

स्वतंत्रता का अधिकार

छह अधिकारों की रक्षा

अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं-

- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन।
- संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार।
- भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार।
- भारत में कही भी छोड़ने या बसने का अधिकार।
- किसी भी पेशे व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार।

विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्र

उच्चतम न्यायालय ने बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित व्यवस्था दी-

- किसी के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार ।
- छापने की स्वतंत्रता
- फोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार।
- प्रसारित करने का अधिकार इसीलिए सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है।
- सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार।
- किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार।
- राज्य विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है।- भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से दोस्ताना संबंध, सार्वजनिक आदेश, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि की परिस्थितियां।
- **संगठन की स्वतंत्रता:** किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है।
- **समिति बनाने का अधिकार:** सभी नागरिकों को संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं- राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, सांझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार।

- उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालांबदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है।
- **विचरण की स्वतंत्रता:** यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में विचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकता है। इस स्वंतत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं– आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का हिता। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी अभियुक्त के विचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **निवास का अधिकार:** हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग है।-(अ) देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना एवं (ब) देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार- इसका तात्पर्य है वहां घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना।
- **व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता:** सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन चलाने के लिए कमाई से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रभावी होने पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

अपराध के लिए दोषी के मामले में सुरक्षा

- किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, अनुच्छेद 20 फैसले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इस दिशा में तीन व्यवस्थाएं हैं–
  - **कोई पूर्व प्रभाव कानून (Post-tado law) नहीं:** कोई भी व्यक्ति (I) किसी भी अपराध में दोषी नहीं होगा सिवाय अपराध के कार्य के समय कानून का उल्लंघन करने पर (II) दंड का विषय अपराध के कार्य के समय कानून के मामलें में अधिक प्रभावी है।
  - दोहरी क्षति नहीं: कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं हो सकता।
  - व्यक्तिगत अभियोग नहीं: किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ आपराधिक मामले में गवाही का अधिकार नहीं है।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई हैं कि कोई भी व्यक्ति सिवा कानूनी प्रक्रिया के अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल उचित कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया पर भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की–
  - मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार।
  - साफ पर्यावरण–प्रदूषण रहित पानी एवं हवा में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के खिलाफ सुरक्षा।
  - निजता का अधिकार।
  - आश्रय का अधिकार।
  - 6 से 14 साल की उम्र तक नि:शुल्क शिक्षा की अधिकार।
  - नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।
  - अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार।
  - देर से कार्य के विरुद्ध अधिकार।

शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ी गई। यह संशोधन देश में 'सर्वशिक्षा' लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा

- अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है दंड विषयक (कठोर) और निवारक। दंड विषयक हिरासत ऐसे व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत में उसे दोषी ठहराया गया। निवारक हिरासत वह है जिसमें किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी

देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

मानव तस्करी एवं बलात श्रम का निषेध

- अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, बेगार (जबरन श्रम) और इसी प्रकार के अन्य समान जबरन श्रम के प्रकारों पर भी। इस व्यवस्था के तहत कोई भी अपराध कानून के मुताबिक दंडनीय होगा। 'मानव की तस्करी' शब्द में शामिल हैं-(i) पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद-बिक्री। (ii) महिलाओं एवं बच्चों की अनैतिक तस्करी इसमें शोषण भी शामिल हैं। (iii) देवदासी और (iv) दास। बेगार का मतलब है बिना सुविधा के जरूरी काम कराना।
- बेगार के मामले में अनुच्छेद 23 में अन्य समान जबरन श्रम पर भी रोक लगाता है इनमें बंधुआ मजदूरी शामिल है। जबरन श्रम में न केवल शारीरिक या कानूनी बल है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों को बढ़ावा देना भी शामिल है जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना।

कारखानों आदि में बाल-श्रम पर निषेध

- अनुच्छेद-24 किसी फैक्ट्री, खान एवं समान निर्माण कार्य या रेलवे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण फंड की स्थापना की। जिसमें बच्चों को रोजगार देने वाले पर प्रति बच्चा 20,000 का दंड जमा करने का प्रावधान बनाया गया।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

धर्म की विवेचना, पेशा, कार्य एवं प्रसार की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को धर्म की विवेचना का अधिकार, इसको स्वतंत्रापूर्वक अपनाने की स्वतंत्रता है। इसमें शामिल है-
  - **विवेचना का अधिकार:** किसी व्यक्ति को उसकी आंतरिक स्वतंत्रता और इस दिशा में उसे जो सही लगे, भगवान के साथ जुड़ाव का अधिकार है।
  - **स्वीकार करने का अधिकार:** किसी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रति विश्वास एवं वफादारी का सार्वजनिक रूप से एवं स्वतंत्रता पूर्वक घोषणा करने का अधिकार है।
  - **कार्य का अधिकार:** धार्मिक पूजा, समारोह को अपने विश्वास और विचार के अनुरूप करने का अधिकार है।
  - **प्रसारण का अधिकार:** किसी के धर्म में उसका विस्तार एवं अन्य धर्म के बारे में विश्वास जगाना इसमें शामिल है।

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सुविधा

- अनुच्छेद 26 के अनुसार हर धार्मिक अनुयायी या इसके किसी वर्ग को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे-
  - धार्मिक एवं कल्याणकारी उद्देश्य से धार्मिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके रख-रखाव का अधिकार।
  - धर्म के मामले में अपने आधार पर प्रबंध करना।

धर्म की अभिवृद्धि को कर से स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि कोई व्यक्ति जो धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने, उसके उत्थान के लिए काम करता है, वह कर अदायगी से मुक्त होगा। दूसरे शब्दों में, राज्य उस धन को व्यय नहीं कर सकता जिसे किसी धार्मिक उत्थान एवं रखा-रखाव के लिए एकत्र किया गया।

धार्मिक निर्देशों की उपस्थिति से स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 28 के तहत कोई भी धार्मिक निर्देश उन शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं किए जा सकते जो पूरी तरह राज्य खर्च पर चल रहे हों। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य देख रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी मठ या ट्रस्ट के अधीन हुई हो।

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा

- अनुच्छेद 29 व्यवस्था देता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के अधार पर प्रवेश से रोक नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, बल्कि सामान्य मामले में भी है, क्योंकि 'नागरिकों के वर्ग' शब्द का मतलब अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है।

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार

- अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है-
  - सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और प्रशासन चलाएं।
  - अल्पसंख्यकों की संपत्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति निश्चित की गई। इस व्यवस्था में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा जोड़ा गया।
  - आर्थिक सहायता में राज्य अल्पंसख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा।

संवैधानिक उपचार का अधिकार

मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए अस्तित्व में न हो विशेष रूप से तब जब उसका हनन हो रहा हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों की गारंटी, प्रभावी, सुधार एवं संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है अन्य अधिकारों की नहीं; जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि।

मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल (original) तो है पर अनोखा नहीं, उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से भी है।

न्यायादेश-प्रकार एवं अवसर

उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) न्यायादेश जारी कर सकते हैं। ये हैं– बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से तीन प्रकार से भिन्न हैं-

- उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर न्यायादेश जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं।
- उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के खिलाफ न्यायादेश जारी कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है।
- अनुच्छेद 32 के तहत उपचार अपने-आपमें मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय अपने न्यायादेश मामले को नकार नहीं सकता। दूसरी तरफ अनुच्छेद 226 के तहत उपचार के संबंध में उच्च न्यायालय अपने न्यायादेश संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण

इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शब्दिक अर्थ होता है 'इकाई का होना'। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है, यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के खिलाफ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का न्यायादेश दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है चाहे वह सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत। यह न्यायादेश तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि (i) हिरासत कानून सम्मत है। (ii) कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो (iii) न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं (iv) हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो।

परमादेश

इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम नियंत्रण करते है'। यह एक नियंत्रण है, जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, परिषद, अधीनस्थ न्यायालयों, पंचाटों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।

परमादेश न्यायादेश जारी नहीं किया जा सकता :

- निजी व्यक्तियों या इकाई के खिलाफ।
- ऐसे विभाग जो गैर-संवैधानिक हैं।
- जब कर्त्तव्य स्वैच्छिक हो, जरूरी नहीं।
- ठेकेदारी उत्थान।
- भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ।

प्रतिषेध

इसका शाब्दिक अर्थ 'रोकना'। यह उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को संबोधित रिट है, जिसमें उस न्यायालय के अधिकार से बाहर कार्यवाही करने से रोका जाता है।

प्रतिषेध संबंधी न्यायादेश सिर्फ न्यायिक एवं अल्प न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी इकाइयों एवं निजी व्यक्तिगत या इकाईयों के लिए उपलब्ध नहीं है।

उत्प्रेषण

इसका शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित होना या 'सूचना देना' है। इसे एक उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के या पंचाटों के विनिश्चय को विखण्डित करने के लिए जारी किया जाता हैं।

अभी हाल तक उत्प्रेषण का न्यायादेश सिर्फ न्यायिक या अल्प न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं, हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधि कारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है।

प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधानमंडलीय इकाइयों, एवं निजी वैयक्तिक या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।

अधिकार पृच्छा

शाब्दिक सदंर्भ में इसका अर्थ किसी 'प्राधिकृत या वारंट के द्वारा' है। इसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। न्यायादेश को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य चार न्यायादेशों से हटकर इसे किसी भी रुचिकर व्यक्ति द्वारा जारी किया सा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।

संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति

असल में संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधि कारों में से संपत्ति का अधिकार एक है।

44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसके स्थान पर भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) (F) और 31 को जोड़ा गया। 'सपत्ति का अधि कार' शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300 (A) को जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपंत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है।

संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार की तरह (जैसा कि मूल अधिकारों से अलग) निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है-

- इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कटौती या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।
- यह कार्यकारी कार्य के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधान मंडलीय कार्य के खिलाफ नहीं।
- संघर्ष के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार के अधिकार जिसमें न्यायादेश शामिल है) के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। भाग 3 में अब भी यह व्यवस्था है कि संपत्ति के अधिग्रहण पर हरजाने का अधिकार होगा। इन दो मामलों में भुगतान होगा-
  - जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (अनुच्छेद 30) की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए और।
  - जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे, जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है, निर्धारित सीमा के अंदर (अनुच्छेद 31A)।

आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- संविधान में अध्याय 16 में कुछ वर्गो के लिए विशेष व्यवस्थायें की गई और इन्हें संविधान लागू होने के बाद 10 वर्ष बनाये रखने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बाद में संवैधानिक संशोधनों द्वारा इस विशेष व्यवस्था की अवधि बढ़ायी जाती रही।
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अतिरिक्त समाज में 'अन्य पिछड़े वर्ग' की अनेक ऐसी जातियां है जिनके पिछड़नेपन को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष सुविधायें दी जानी चाहिए।
- पिछड़ों वर्गो की दशाओं में सुधार हेतु राष्ट्रपति ने अब तक दो आयोग गठित किये हैं- काका कालेलकर और मंडल आयोग।
- काका कालेलकर आयोग का गठन 1950 ई. में हुआ था। 1955 मे दी गई इस अयोग की सिफारिश में सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड को स्पष्टतया परिभाषित नहीं किया गया था। अत: उस पर विवाद हो जाने के कारण आरक्षण की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

- पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में दूसरा आयोग मंडल आयोग गठित किया गया। 1990 में वी.पी. सिह सरकार ने इसके आधार पर भारत सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पिछड़े हुए वर्गो को 27% आरक्षण की घोषणा की।
- 2006 में तिरानवेवाँ संविधान संशोधन द्वारा निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो को आरक्षण की व्यवस्था की गई।

निवारक निरोध अधिनियम

- 1950 में सर्वप्रथम निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया इस अधिनियम की प्रवर्तन की अवधि बढ़ाई जाती रही है। यह 31 दिसम्बर 1969 ई. तक प्रभावी रहा।
- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 (Maintenace of internal security act-1971 MISA) बनाया गया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 के मीसा को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
- 1974 में तस्करी, विदेशी मुद्रा में छल आदि कार्य रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) बनाया गया।
- आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारण अधिनियम (TADA) 1985
- आंतकवाद निवारण अधिनियम (POTA) 2002 !

EduBull.com